सत्यमेव जयते

मा गृधः कस्यस्विद्धनम्

वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

भारत के लोकपाल

गांधीजी का जंतर

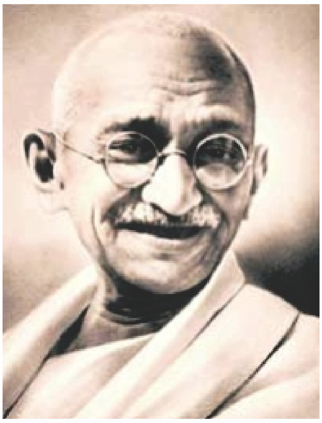

तुम्हें एक जंतर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी (स्त्री) तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उसके लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है।

- महात्मा गांधी

1948 में अपने गहरे सामाजिक विचार व्यक्त करते हुए।

सत्यमेव जयते

मा गृधः कस्यस्विद्धनम्

भारत के लोकपाल

वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

(1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022)

मा गृधः कस्यस्विद्धनम्

भारत के लोकपाल के अध्यक्ष द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 की प्रस्तुति

विषय-सूची

प्राक्कथन 1

1. परिचय. 3

2. कानूनी प्रावधान. 8

3. भारत के लोकपाल. 15

4. संगठन और स्थापना. 21

5. शिकायत समाधान का विवरण और स्थिति 25

6. आउटरीच 31

7. कोविड-19 महामारी से निपटना 36

8. ई-गवर्नेंस पहल 37

9. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 42

10. रोड अहेड 43

11. संलग्नक 44

मा गृधः कस्यस्विद्धनम्

29 मार्च, 2022 को भारत के
माननीय उपराष्ट्रपति से भेंट करते हुए।

न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती
कार्यकारी अध्यक्ष

प्राक्कथन

नई दिल्ली

मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति को भारत के लोकपाल की तीसरी वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए सम्मानित अनुभव कर रहा हूँ। इस रिपोर्ट में 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक लोकपाल के कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है।

इस रिपोर्ट को 10 अध्यायों में बांटा गया है जिसमें संस्था के विभिन्न कानूनी प्रावधानों, संगठन और स्थापना तथा ई-गवर्नेंस पहलुओं की जानकारी दी गई है। समाज के व्यापक वर्ग तक पहुँचने और लोकपाल की कार्यप्रणाली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लोकपाल द्वारा की गई पहलों को उजागर करते हुए 'आउटरीच' पर एक नया अध्याय शामिल किया गया है।

इसके अलावा, इस वर्ष संस्था के जरूरी भौतिक बुनियादी ढांचे, मानव पूंजी और विनियमों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के विकास के साथ-साथ संस्था निर्माण के प्रयासों और गति में भी तेजी देखी गई है। इस संबंध में, शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'लोकपालऑनलाइन' 13 दिसंबर, 2021 को आरंभ किया गया था। यह प्लेटफॉर्म शिकायतकर्ताओं को कहीं से भी, कभी भी शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा। साथ ही, कार्यालय स्थान को बढ़ाने तथा विभिन्न विनियम एवं प्रक्रियाएँ निर्धारित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

इस वर्ष के दौरान, भारत के लोकपाल में प्राप्त शिकायतों को, जो निर्धारित प्रारूप में न हों, पर विचार करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जैसाकि रिपोर्ट में देखा जा सकता है, वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के लोकपाल की विभिन्न पीठों द्वारा 2200 से अधिक शिकायतों पर विचार किया गया है। लोकपाल का कार्यालय भी बेहतर समन्वय के लिए विभिन्न भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों के साथ तालमेल बना रहा है।

उपर्युक्त के अलावा, उत्पादकता बढ़ाने, परिचालन लागत कम करने और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए इस संस्था को कार्यदक्ष एवं पर्यावरण-अनुकूल संगठन बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की न्यूनतम प्रतियाँ ही मुद्रित की जाएँगी तथा शेष प्रतियाँ डिजिटल माध्यम से वितरित की जाएंगी।

(न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती)

1. परिचय

भ्रष्टाचार सदियों पुरानी ऐसी बुराई है जिसका व्यक्तियों, समाजों और राष्ट्रों पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ता है। यह बीमारी सामाजिक-आर्थिक समानता, कानून के शासन और मानवाधिकारों को नष्ट कर देती है, बाजारों, न्याय एवं सेवाओं की गुणवत्ता को विकृत करती है और इस प्रकार यह नागरिकों में असंतोष पैदा करने और व्यवस्था के प्रति बढ़ती उपेक्षा का कारण बन जाती है।

भ्रष्टाचार जो विभिन्न स्तरों पर हो सकता है, ऐसा बेईमान और अवैध कृत्य है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा प्रभुत्वशाली स्थिति में होने पर गैर-कानूनी लाभ या व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने हेतु शक्ति का दुरुपयोग करके किया जाता है। इसके अनेक रूप हो सकते है जैसेकि कुछ लोगों के बीच भ्रष्टाचार से लेकर बड़े पैमाने पर ऐसे भ्रष्टाचार जो सरकार को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है तथा ऐसा व्यापक भ्रष्टाचार जो समाज के रोजमर्रा के कामकाज का हिस्सा बन चुका है। यह सामाजिक-आर्थिक स्तर पर उम्मीद से कम कार्य-निष्पादन होने का एक प्रमुख घटक है तथा राष्ट्रीय उन्नति एवं विकास के लिए एक बड़ी बाधा खड़ी करता है।

इस खतरे से निपटने के लिए, भारत की संसद ने भ्रष्टाचार की शिकायतों और आरोपों की जांच करने के उद्देश्य से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया। इस कानून का अधिकार क्षेत्र अधिनियम की धारा 14 में यथानिर्दिष्ट सभी लोक पदाधिकारियों के लिए लागू कर दिया गया है, जिनमें सरकार से अनुदान या विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाली गैर-सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के अधिकारी भी शामिल हैं।

चित्र 1: भ्रष्टाचार के व्यापक प्रभाव

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

'लोकपाल' संस्कृत का शब्द है, जहाँ व्युत्पत्ति के अनुसार, 'लोक' शब्द का अर्थ है 'जनता' और 'पाल' का अर्थ है 'रक्षक'। इसकी परिकल्पना स्कैंडिनेवियाई मूल की अवधारणा 'ओम्बड्समैन' के भारतीय संस्करण के रूप में की गई है, जो सरकारी -तंत्र के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतों की जांच के लिए नियुक्त अधिकारी होता है।

भारत में इस संस्था की उत्पत्ति तथा विकास के चर्चा की शुरुआत 1960 के दशक में हो चुकी थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.-1) ने 1966 में 'नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याएं' पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट में केंद्र में लोकपाल संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। इसके बाद, विभिन्न आयोगों ने इस संस्था की स्थापना के महत्व पर बल दिया है। वर्ष 2002 में, न्यायमूर्ति वेंकटचलैया के अधीन संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश की, जबकि वर्ष 2005 में, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.-2) ने बिना विलंब के लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की। लोकपाल की स्थापना के लिए लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, पहली बार लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, 1968 के रूप में चौथी लोकसभा में पेश किया गया, इसके बाद यह विधेयक 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998 और 2001 में पेश किया गया। लोकपाल विधेयक अंततः 4 अगस्त 2011 को पेश किया गया और 8 अगस्त, 2011 को गहन अध्ययन के लिए विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया।

स्थायी समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों को देखते हुए, मूल लोकपाल विधेयक, 2011 को वापस ले लिया गया और एक संशोधित विधेयक 'लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011' को 22 दिसंबर, 2011 को लोकसभा में पेश किया गया, कुछ संशोधनों के साथ 27 दिसंबर 2011 को यह पारित किया गया, और विचार हेतु राज्य सभा को भेज दिया गया।

राज्यसभा की प्रवर समिति ने विधेयक पर विचार किया और राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र, जांच और अन्वेषण की प्रक्रिया, मंजूरी देने की शक्ति, सीबीआई में सुधार, चयन समिति की संरचना, लोकपाल के अध्यक्ष/सदस्य का निलंबन और 'सद्भावपूर्वक' की गई शिकायतों जैसे मुद्दों पर कई सिफारिशें कीं। 16 सिफारिशों में से 14 को स्वीकार कर लिया गया और संशोधित लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 को 13 दिसंबर, 2013 को राज्य सभा के विचारण के लिए लाया गया। यह विधेयक कुछ संशोधनों के साथ 17 दिसंबर, 2013 को पारित किया गया और लोकसभा को विचारार्थ हेतु वापिस भेज दिया गया, जिसने इसे 18 दिसंबर, 2013 को पारित कर दिया। इस विधेयक को 1 जनवरी, 2014 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, और यह विधेयक 2014 का अधिनियम संख्यांक 1 बन गया। 'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013' की धारा 1 की उप-धारा (4) के अनुसार, यह अधिनियम 16 जनवरी, 2014 को प्रवृत्त हुआ। वर्ष 2016 में इस अधिनियम में लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2016 के माध्यम से एक बार संशोधन किया गया है।

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 23 मार्च, 2019 को भारत के लोकपाल के पहले अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष को पद की शपथ दिलाई। अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अध्यक्ष द्वारा 27 मार्च, 2019 को चार न्यायिक सदस्यों और चार अन्य सदस्यों को पद की शपथ दिलाई गई।

संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार-विरुद्ध अभिसमय (यू.एन.सी.ए.सी.)

संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार-विरुद्ध अभिसमय (यू.एन.सी.ए.सी.) कानूनी रूप से बाध्यकारी भ्रष्टाचार-रोधी बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के सीमा-पार भ्रष्टाचार, प्रभुत्व और शक्ति का दुरुपयोग, और निजी क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार जैसेकि गबन और धन-शोधन को कम करना है। 9 मई, 2011 को भारत द्वारा इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया गया, जो भ्रष्टाचार से लड़ने तथा ऐसे प्रशासनिक और कानूनी सुधार करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इस समस्या के सुसंगत और कठोर प्रबंधन को सुसाध्य बनाता है। इस संधि का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्ति वसूली के लिए प्रभावी कानूनी तंत्र बनाकर विभिन्न देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रवर्तन और न्यायिक सहयोग को मजबूत करना भी है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, अन्य बातों के साथ-साथ, इस अभिसमय के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी अधिनियमित किया गया था। इस प्रकार, इस अधिनियम के माध्यम से की गई भारत के लोकपाल की स्थापना संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार-विरुद्ध अभिसमय (यू.एन.सी.ए.सी.) के तहत भारत के दायित्वों के निर्वहन में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि यह स्वतंत्र जांच और अधिकारियों के अभियोजन के लिए वैधानिक आधार और उपबंधों का प्रावधान करती है।

'भारत के लोकपाल' का गठन- समय चक्र

3 अप्रैल, 1963
भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 'ऑम्बड्समैन' की तर्ज़ पर संसदीय आयोग के गठन संबंधी सुझाव

1966
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने जनता की शिकायतें दूर करने के लिए 'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' वाले द्वि-स्तरीय तंत्र की सिफारिश की

1968
'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' विधेयक पहली बार चौथी लोक सभा में पेश

1969
पहला 'जन लोकपाल विधेयक' चौथी लोक सभा द्वारा पारित

1971
विधेयक लोक सभा में पुनः प्रस्तुत

1977
विधेयक को तीसरी बार रखा गया

1985
विधेयक को चौथी बार रखा गया

1989
विधेयक को पांचवीं बार रखा गया

1996
विधेयक को छठी बार रखा गया

1998
विधेयक को सातवीं बार रखा गया

2001
विधेयक को आठवीं बार रखा गया

2002
संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, 2002 ने भी 'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' की नियुक्ति के लिए संवैधानिक प्रावधानों की भी सिफारिश की

2005
विधेयक नौवीं बार प्रस्तुत

2008
विधेयक को दसवीं बार रखा गया

9 मई, 2011
'भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौते' की भारत द्वारा पुष्टि

4 अगस्त, 2011
'लोकपाल विधेयक' पेश किया गया

8 अगस्त, 2011
विधेयक गहन अध्ययन हेतु विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सुपुर्द

22 दिसंबर, 2011
स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर ‘लोकपाल विधेयक, 2011’ वापस लिया गया; उसकी जगह 'लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011' नाम से संशोधित विधेयक पेश

27 दिसंबर, 2011
लोक सभा द्वारा विधेयक पारित

17 दिसंबर, 2013
राज्य सभा द्वारा विधेयक पारित

1 जनवरी, 2014
राष्ट्रपति की मंजूरी मिली

16 जनवरी, 2014
लागू हुआ

23 मार्च, 2019
'भारत के लोकपाल' के सर्वप्रथम अध्यक्ष ने पद की शपथ ली

27 मार्च, 2019
सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह

> *प्रक्षालनाद्धि पंकस्य*
> *दूरात् स्पर्शनम् वरम्।*
>
> बेहतर है कि गंदगी को साफ करने के बजाय,
> गंदगी ही न होने दें।

2. कानूनी प्रावधान

भारत के लोकपाल, 'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013' के प्रावधानों के तहत कार्य करते है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

धारा 4 - अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

'लोकपाल' के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति - जिसमें प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, लोक सभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का एक वर्तमान न्यायाधीश और चयन समिति के अन्य सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नामित एक विख्यात विधिवेत्ता शामिल होते हैं - की सिफारिश प्राप्त होने के बाद की जाती है।

अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि वे सत्तर वर्ष के न हो जाएं, जो भी पहले हो, पद पर रहेंगे।

धारा 7 - अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें

अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें क्रमशः भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगी। अध्यक्ष या सदस्य के वेतन, भत्ते और देय पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तें उनकी नियुक्ति के बाद ऐसे परिवर्तित नहीं की जा सकती हैं, जो उनके लिए अलाभकर हो।

धारा 10 - लोकपाल के सचिव, अन्य अधिकारी और कर्मचारी

'लोकपाल' के सचिव की नियुक्ति, जो भारत सरकार के सचिव-स्तर का अधिकारी होता है, अध्यक्ष द्वारा इस बारे में केंद्र सरकार से मिले नामों की सूची में से किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा निदेशक (जांच) और निदेशक (अभियोजन), जो कम से कम भारत सरकार के अपर सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी होते हैं, की भी नियुक्ति की जाती है, जो केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से चुने जाते हैं।

धारा 13 - लोकपाल के व्यय

लोकपाल के प्रशासनिक व्यय, जिसमें लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्यों अथवा सचिव अथवा अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों के संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

धारा 14 - लोकपाल का अधिकार क्षेत्र

'लोकपाल' निम्नलिखित के बारे में की गई किसी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच कर सकता है या जांच करवा सकता है, अर्थात्:-

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री है या रहा हो;

परंतु 'लोकपाल' प्रधानमंत्री के विरूद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत से जुड़े या उससे उत्पन्न होने वाले ऐसे किसी मसले की वहाँ तक जांच नहीं करेगा,

i.) जहां तक वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष से संबंधित हो;

ii.) बशर्ते कि 'लोकपाल' के अध्यक्ष और सभी सदस्यों से मिल कर बनी 'लोकपाल' की पूर्ण न्याय पीठ ऐसी जांच शुरू करने के बारे में विचार करे और उसके कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसी जांच करने का अनुमोदन कर दें।

(ख) कोई व्यक्ति जो केंद्र सरकार का मंत्री है या रहा हो;

(ग) कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य है या रहा हो;

(घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (i) एवं (ii) में यथा परिभाषित लोक सेवकों में से समूह 'क' या समूह 'ख' का कोई अधिकारी या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर अधिकारी, जब वह केंद्र सरकार के कार्यों के संबंध में सेवारत है या जिसने सेवा की हो;

(ड.) धारा 20 की उपधारा (1) के प्रावधान के अधीन रहते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (i) एवं (ii) में यथा परिभाषित लोक सेवकों में से समूह 'ग' या समूह 'घ' का कोई पदधारी या उसके समतुल्य पदधारी, जब वह केंद्र सरकार के कार्यों के संबंध में सेवारत है या जिसने सेवा की हो;

(च) ऐसा कोई व्यक्ति, जो संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियंत्रित निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसायटी या न्यास या स्वशासी निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) का अध्यक्ष या सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी है या रहा हो;

(छ) ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रत्येक अन्य सोसाइटी या लोगों की एसोसिएशन या न्यास (चाहे उस समय लागू किसी कानून के तहत पंजीकृत है या नहीं), चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, और जो सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित हो, जिसकी वार्षिक आय ऐसी रकम से अधिक है, जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उसका निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा हो।

केंद्र सरकार ने दिनांक 20 जून, 2016 की अधिसूचना द्वारा इस राशि को एक करोड़ रूपये विनिर्दिष्ट किया है। इस उद्देश्य के लिए वार्षिक आय की गणना हेतु केवल केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों और वित्तीय सहायता पर ही विचार किया जाना होता है; और

(ज) ऐसा कोई व्यक्ति, जो विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत एक वर्ष में किसी विदेशी स्रोत से दस लाख रुपये से अधिक या ऐसी उच्चतर राशि का, जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, दान प्राप्त करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइटी या लोगों की एसोसिएशन या न्यास (चाहे उस समय लागू किसी कानून के तहत पंजीकृत है या नहीं) का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा हो।

धारा 20 - प्रारंभिक जांच और अन्वेषण

लोकपाल, कोई शिकायत प्राप्त होने पर, यदि वह आगे कार्यवाही करने का निर्णय करता है तो वह अपने जांच खंड या किसी एजेंसी (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या मामले में कार्यवाही के लिए कोई प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है, किसी लोक सेवक के विरुद्ध प्रारंभिक जांच करने का आदेश दे सकता है। जहां कोई मामला प्रथमदृष्ट्या विद्यमान है ,वहां किसी एजेंसी (जिसके अंतर्गत दिल्ली

विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा अन्वेषण का आदेश दे सकता है|

यदि 'लोकपाल' प्रारंभिक जांच करने का फैसला करता है तो उसे किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, समूह 'क', 'ख', 'ग' या 'घ' के लोक सेवकों के संबंध में मिली शिकायत या शिकायतों या शिकायतों के किसी समूह को केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजना होगा।

प्रारंभिक जांच के दौरान जांच खंड या अन्य एजेंसी (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन सहित) ठोस जानकारी और इकट्ठा किए गए दस्तावेज़ों के आधार पर सम्बद्ध लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से शिकायत में लगाए गए आरोपों पर टिप्पणियां मांगेगी, जिसके बाद वह लोकपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जो निर्देश प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर किया जाना होगा।

प्रत्येक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर 'भारत के लोकपाल' के कम से कम तीन सदस्यों वाली न्यायपीठ विचार करेगी, और लोक सेवक को सुने जाने का अवसर देने के बाद यह तय करेगी कि क्या सरसरी तौर पर मामला बनता है, जिसके बाद वह निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्रवाई करेगी, अर्थात्:

(क) किसी एजेंसी या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा अन्वेषण, जो मामले पर निर्भर करेगा;

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का या कोई अन्य समुचित कार्रवाई और

(ग) लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त कर धारा 46 के तहत शिकायतकर्ता के खिलाफ़ कार्यवाही।

यदि 'लोकपाल' शिकायत का अन्वेषण करने का निश्चय करता है तो वह किसी एजेंसी (दिल्ली विषेश पुलिस स्थापन सहित) को यथासंभव शीघ्रता के साथ ऐसा करने, और अपने आदेश की तिथि से छह महीने के भीतर अन्वेषण पूरा करने का निदेश देगा:

साथ ही यह भी, कि 'लोकपाल' किन्ही कारणों के आधार पर इस अवधि को एक बार में अधिकतम छह महीने के लिए और बढ़ा सकता है, परंतु इन कारणों को लिखित में दर्ज किया जाना होगा।

यदि लोकपाल अधिनियम की धारा 20 (1) के खंड (ख) के अधीन अन्वेषण का आदेश देने के लिए आगे कार्यवाही करने का निश्चय करता है, तो लोकपाल ऐसी अन्वेषण का आदेश देने से पहले लोक सेवक से स्पष्टीकरण मांगेगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या प्रथम दृष्टया अन्वेषण का मामला बनता है।

'लोकपाल' द्वारा सौंपे गए मामलों में अन्वेषण एजेंसी अपनी जांच रिपोर्ट अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में पेश करेगी, तथा उसकी एक प्रति 'लोकपाल' को भी भेजेगी। इस रिपोर्ट पर कम से कम तीन सदस्यों की न्यायपीठ विचार करेगी, जिसके बाद वह आरोप पत्र दायर करने की मंजूरी दे सकती है या विशेष अदालत के समक्ष रिपोर्ट को बंद करने का निदेश दे सकती है अथवा सक्षम प्राधिकारी को विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का निदेश दे सकती है। 'लोकपाल' अपने अभियोजन खंड या अन्वेषण एजेंसी को विशेष अदालत में अभियोजन प्रारंभ करने का भी निदेश दे सकता है।

धारा 21- उन व्यक्तियों को सुना जाना जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है

यदि कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर लोकपाल का यह मत है कि अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति पर प्रारंभिक जांच से

प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो लोकपाल, उस व्यक्ति को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से संगत सुनवाई का और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

धारा 22- किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना आदि प्रस्तुत किया जाना

लोकपाल या अन्वेषण अभिकरण, किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के लिए प्रासंगिक सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगा।

धारा 23- अभियोजन प्रारंभ करने के लिए मंजूरी देने की लोकपाल की शक्ति

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 197 या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6क या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 19 में किसी बात के होते हुए भी, लोकपाल को इस अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (7) के खंड (क) के अधीन अभियोजन के लिए मंजूरी देने की शक्ति होगी। तथापि, किसी ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध, जिस पर उसके द्वारा उसके शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या तात्पर्यित रूप से कार्य करते हुए अभिकथित रूप से कोई अपराध करने का अभिकथन किया गया है, कोई अभियोजन आरंभ नहीं किया जाएगा और कोई न्यायालय, लोकपाल की पूर्व मंजूरी के सिवाय ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। साथ ही, यह धारा सांविधानिक उपबंधों के अनुसरण में पद धारण किए हुए ऐसे व्यक्तियों के संबंध में और जिनके संबंध में ऐसे व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया उसमें विनिर्दिष्ट की गई है, लागू नहीं होगी।

धारा 25- लोकपाल की पर्यवेक्षण संबंधी शक्तियाँ

'लोकपाल' द्वारा प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के लिए सौंपे गए मामलों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन को निदेश देने और उस पर अधीक्षण की शक्ति होगी। 'लोकपाल' द्वारा सौंपे गए किसी मामले का अन्वेषण कर रहे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के किसी अधिकारी को 'लोकपाल' के अनुमोदन के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रारंभिक जांच के लिए उसे भेजी गई शिकायतों पर की गई कार्रवाई के संबंध में लोकपाल को एक विवरण भेजेगा। ऐसा विवरण प्राप्त होने पर, लोकपाल ऐसे मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

धारा 28- केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने की लोकपाल की शक्ति

लोकपाल, कोई प्रारंभिक जाँच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी या संगठन या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। वह अधिकारी या संगठन या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है, प्रारंभिक जाँच या अन्वेषण से संबंधित किसी मामले की, यथास्थिति, जांच या अन्वेषण करेगा और लोकपाल को, इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

धारा 29- संपत्ति की कुर्की

किसी मामले में 'लोकपाल' अगर किन्हीं कारणों से यह मानता है कि भ्रष्टाचार से जुड़े अपराध का आरोपी अपने पास भ्रष्टाचार से मिली कोई संपत्ति रखे हुए है, तो 'लोकपाल' ऐसी संपत्ति को अस्थाई तौर पर कुर्क करने का आदेश दे सकता है, और यह कुर्की आदेश की तिथि से अधिकतम नब्बे दिन के लिए होगी। 'लोकपाल' जब किसी संपत्ति को अस्थाई रूप से कुर्क करे तो ऐसी कुर्की के तीस दिनों के भीतर उसे अपने अभियोजन खंड को निदेश देना होगा कि वह विशेष अदालत के समक्ष कुर्की के तथ्यों का उल्लेख करते हुए आवेदन दायर करे, और प्रार्थना करे कि लोक सेवक के खिलाफ़ विशेष अदालत में कार्यवाही पूरी होने तक संपत्ति की कुर्की की पुष्टि की जाए।

धारा 32- लोक सेवक का स्थानांतरण या निलंबन

जहां 'लोकपाल' सरसरी तौर पर इस बात से संतुष्ट है कि प्रारंभिक जांच के दौरान लोक सेवक का अपने पद पर बने रहना ऐसी प्रारंभिक जांच को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, या ऐसा लोक सेवक सबूतों को नष्ट या उनसे छेड़छाड़ कर सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है, तो 'लोकपाल' केंद्र सरकार से ऐसे लोक सेवक को, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि तक, उसके पद से निलंबित या स्थानांतरित करने की सिफारिश कर सकता है। केंद्र सरकार को सामान्यतः 'लोकपाल' की सिफ़ारिश को मानना होगा, केवल ऐसे मामलों के सिवाय जहां ऐसा करना प्रशासनिक कारणों से, और इन कारणों को लिखित में दर्ज करना होगा, व्यवहार्य नहीं हो।

धारा 33: प्रारंभिक जांच के दौरान अभिलेखों के नष्ट किए जाने को रोकने के लिए निदेश देने की लोकपाल की शक्ति

लोकपाल, किसी ऐसे लोक सेवक को, जिसे किसी दस्तावेज या अभिलेख को तैयार करने या उसकी अभिरक्षा रखने का कार्य सौंपा गया है, को ऐसे दस्तावेज या अभिलेख को नष्ट किए जाने / नुकसान पहुँचाने / परिवर्तन करने या उसे छिपाने से सुरक्षा देने या लोक सेवक को भ्रष्ट साधनों से उसके द्वारा अभिकथित रूप से अर्जित किन्हीं आस्तियों को अंतरित करने या उन्हें अन्यसंक्रामित करने से रोकने के लिए समुचित निदेश जारी कर सकेगा।

धारा 35 - मामलों की जांच के लिए विशेष अदालतें

केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) से या इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई और फ़ैसलों के लिए उतनी संख्या में विशेष अदालतों का गठन करना होगा जितनी 'लोकपाल' सिफ़ारिश करे।

विशेष अदालतों को सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने यहाँ मामला दायर होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक मामले को निपटा देंगी। यदि उसे एक वर्ष में नहीं निपटाया गया तो विशेष अदालत उसके लिए कारण को दर्ज करेगी, तथा सुनवाई को अधिकतम और तीन महीने की अवधि के भीतर या आगे की ऐसी अवधी के भीतर पूरी करेगी जो प्रत्येक बार अधिकतम तीन माह हो, और ऐसी सभी त्रैमासिक अवधियों की समाप्ती से पहले इसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाना होगा, परंतु जो सब मिला कर अधिकतम दो वर्ष की अवधि से ज़्यादा न हो।

धारा 37 - पद से हटाने की प्रक्रिया

अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से कदाचार के कारण राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, जो आदेश वे इस बारे में कम से कम एक सौ सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका मिलने पर उच्चतम न्यायालय को किए गए निर्देश के बाद उसके द्वारा, ऐसे मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप, की गई जांच में अध्यक्ष या उस सदस्य को उक्त आधार पर हटाये जाने की रिपोर्ट दिये जाने के पश्चात जारी करेंगे।

धारा 46 - झूठी शिकायत करने पर अदालती कार्यवाही

कोई व्यक्ति अगर झूठी और तुच्छ या केवल तंग करने के इरादे से शिकायत करता है, तो दोषी पाए जाने पर उसे एक साल तक की जेल की सज़ा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। झूठी शिकायत करने का दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को उस लोक सेवक को मुआवज़ा देने के साथ ही मुकदमा लड़ने के लिए उस लोक सेवक द्वारा किए गए कानूनी ख़र्च की रकम भी चुकानी होगी, जिसके खिलाफ उसने झूठी शिकायत की थी। हालांकि, सच्ची भावना से की गई शिकायतों के मामले में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस धारा के तहत अपराध का संज्ञान केवल किसी विषेश अदालत द्वारा ही लिया जाएगा।

विभिन्न अन्य अधिनियमों में संशोधन

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को एक व्यापक कानून बनाने के लिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे से निपटने वाले विभिन्न कानूनों में आवश्यक हो चुके मामूली संशोधन भी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के भीतर किए गए हैं। परिणामत:, जांच आयोग अधिनियम, 1952; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 जैसे कानूनों में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं ताकि वे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप बनाए जा सकें।

अधिनियम के तहत नियम बनाने का प्रावधान

अधिनियम की धारा 59(1) के अनुसार, केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

लोकपाल के प्रभावी कार्यकरण के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विभिन्न नियमों का का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

विभिन्न अधिनियमों में संशोधन

(i) खोजबीन समिति (लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल के चयन की रीति और सदस्यों की नियुक्ति के गठन, निबंधन और शर्तें) नियम, 2014 और उसमें संशोधन;

(ii) लोकपाल (वित्तीय और लेखा) नियम, 2020;

(iii) लोकपाल (परिवाद) नियम, 2020; और

(iv) विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियम।

लोकपाल द्वारा जारी निर्देशों के माध्यम से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना

लोकपाल के कार्यकरण के संचालन में आसानी लाने की दृष्टि से, संस्था ने विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए और शिकायत से निपटने एवं परिणामी निर्णयन में स्पष्टता और तंत्र की व्यवस्था करने के लिए क्रियाविधियों का एक सेट तैयार किया है:

i). इस क्रियाविधि में शिकायत प्राप्त करने का तरीका, शिकायतों की डायरी, शिकायत की जांच की प्रक्रिया, त्रुटि होने के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, पीठ को शिकायत का आवंटन, कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एजेंसियों द्वारा समय बढ़ाने की मांग और पूछताछ एजेंसी से प्राप्त प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से निपटने की प्रक्रिया जैसे मुद्दे शामिल हैं।

ii). विभिन्न राज्यों में प्रचलित क्रियाविधियों के अनुसार 'गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर' शब्द की व्याख्या करके नागरिकों को स्पष्ट जानकारी देना, साथ ही विभिन्न मंचों पर शिकायत आदि दर्ज करने में एकरूपता और सुसंगति सुनिश्चित करना।

iii). 'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत प्रारंभिक जांच की क्रियाविधि' का उद्देश्य शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

iv). 'सुनवाई का अवसर देने के लिए नोटिस' जारी करने की प्रक्रिया को भी निर्देशों के एक अलग सेट में शामिल किया गया है, जिनका उद्देश्य प्राकृतिक न्याय 'ऑडी अल्टरम पार्टेम' (सुनवाई का अधिकार) के सिद्धांत को लागू करना है, अर्थात किसी को भी उसका पक्ष सुने बिना दंडित नहीं किया जाना चाहिए, जिसके कारण संबंधित लोक सेवक को लोकपाल के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

v). लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 38 के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर कार्रवाई के लिए दिशानिर्देशों में लोकपाल के अधिकारियों और भारत के लोकपाल के तहत या उससे जुड़ी एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतों से निपटने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इन दिशानिर्देशों में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी/एजेंसी को सुनवाई का अवसर देने, आरोपों की जांच के लिए समिति गठित करने, समिति की सिफारिशों पर की जाने वाली कार्रवाई और जांच की समय सीमा जैसे मुद्दों पर विस्तार से बताया गया है।

व्यवस्थागत सुधार गतिशील होते हैं तथा अनुभव, बदलते परिदृश्य और प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर निरंतर विकसित और उन्नत होते रहते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और लोकपाल उभरती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार करने हेतु सक्रिय है और खुली मानसिकता लिए है ताकि लोकपाल की वैधानिक जिम्मेदारियों की त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई और कुशल निर्वहन के अंतिम उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

3. भारत के लोकपाल

> मित्रहीन का मित्र बनना मेरा स्वभाव है...
>
> - सरदार वल्लभ भाई पटेल

अध्यक्ष और सदस्य

भारत के राष्ट्रपति ने 23 मार्च, 2019 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष को भारत के लोकपाल के पहले अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ दिलाई। इसके बाद, 27 मार्च, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अध्यक्ष द्वारा चार न्यायिक सदस्यों और चार अन्य सदस्यों को पद की शपथ दिलाई गई। न्यायमूर्ति श्री दिलीप बाबासाहेब भोसले ने व्यक्तिगत कारणों से 12 जनवरी, 2020 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार त्रिपाठी का दुर्भाग्यवश 2 मई, 2020 को देहावसान हो गया। अध्यक्ष और सदस्यों का संक्षिप्त जीवनवृत्त इस प्रकार है:

भारत के लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य

न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष

न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष ने वाणिज्य स्नातक की डिग्री सेंट ज़ेवियर कॉलेज और विधि स्नातक की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वे कलकता उच्च न्यायालय में एटोर्नी-एट-लॉ भी बने। तत्पश्चात उन्होंने 1976 में कलकत्ता उच्च न्यायालय बार में कार्य प्रारम्भ किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और अंडमान एवं निकोबार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में योगदान किया। जुलाई 1997 में उन्हें कलकता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्हें 2012 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, और बाद में उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी मुख्य न्यायाधीश की भी ज़िम्मेदारी निभाई। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नाल्सार (NALSAR), हैदराबाद के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य का निष्पादन किया। 8 मार्च, 2013 को उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया, जहां से वे 27 मई, 2017 को सेवानिवृत्त हुए। 29.6.2017 से 21.3.2019 तक उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के सदस्य के रूप में सेवा की। 25 नवंबर, 2019 को उन्हें एमिटी यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध नगर, उ. प्र. द्वारा मानद डॉक्टरेट डिग्री (एलएल.डी. ओनोरिस कौज़ा) से सम्मानित किया गया। 23 मार्च, 2019 को उन्हें लोकपाल के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार मोहंती

न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार मोहंती ने 1978 में बार काउंसिल में कार्य प्रारम्भ किया। उन्होंने मुख्यतः संवैधानिक, आपराधिक और सिविल लॉ में वकालत की, मगर साथ ही कानून की अन्य शाखाओं से जुड़े मामलों में भी सक्रिय रहे। उन्हें उड़ीसा राज्य बार काउंसिल के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया, जिस पद पर वे तीन कार्यकाल तक सेवारत रहे। वर्ष 2000 में वे उड़ीसा उच्च न्यायालय बार ऐसोसियेशन के सचिव चुने गए। उन्होंने 7.3.2002 को उड़ीसा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में और फिर 6.3.2004 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

उन्हें पांच बार उड़ीसा उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और बाद में मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी सेवा की। उन्होंने दिसंबर 2012 से अप्रैल 2016 तक उड़ीसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में सेवा की। उन्होंने एन.एल.यू., कटक और एन.यू.एस.आर.एल., रांची के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य किया। वह 27 मार्च, 2019 से भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।

न्यायमूर्ति श्रीमती अभिलाषा कुमारी

न्यायमूर्ति श्रीमती अभिलाषा कुमारी ने 26 मार्च, 1984 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य प्रारम्भ किया। उन्होंने स्थाई अधिवक्ता के रूप में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, बोर्डों एवं निगमों का प्रतिनिधित्व किया। वह 1995 से 2002 तक केन्द्र सरकार की स्थायी काउन्सेल भी रहीं। बाद में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अपर महाधिवक्ता के रूप में सेवा की। उन्होंने सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, सर्विस और कंपनी कानून सहित कानून की सभी शखाओं में वकालत की। उन्हें 2 दिसंबर, 2005 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया, जहां उन्होने 9 जनवरी, 2006 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें 25 सितंबर, 2006 को गुजरात उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। 9 फरवरी, 2018 को वे मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुईं और उन्हें उस राज्य की पहली महिला मुख्य न्याशधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्हें 17 मई, 2018 को गुजरात राज्य मानवाधिकर आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह 27 मार्च, 2019 से भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।

श्री दिनेश कुमार जैन

श्री दिनेश कुमार जैन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से बी.टेक एवं एम.टेक किया। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हल्ल, यूनाइटेड किंगडम से एम.बी.ए. किया। उन्होंने 1983 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइ.ए.एस.) में कार्य ग्रहण किया और उन्हें महाराष्ट्र काडर आबंटित किया गया। भारत सरकार में उन्होंने संयुक्त सचिव (एमजीनरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय और अपर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के रूप में काम किया है।

उन्होंने महाराष्ट्र शासन में सचिव, ग्रामीण विकास, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं वित्त सचिव सहित विभिन्न पदों पर सेवा की। उन्हें मई, 2018 में महाराष्ट्र शासन का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। वह 27 मार्च, 2019 से भारत के लोकपाल के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।

श्रीमती अर्चना रामासुन्दरम

श्रीमती अर्चना रामासुन्दरम राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और उन्होने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलीफोर्निया, यू.एस.ए. से अपराधशास्त्र में एम.एस. डिग्री भी अर्जित की है। उन्होंने 1980 में भारतीय पुलिस सेवा (आइ.पी.एस.) में कार्यग्रहण किया और उन्हें तमिलनाडु काडर आबंटित किया गया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक, नीलगिरी, पुलिस अधीक्षक (सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोध) और पुलिस उप महानिरीक्षक, वेल्लोर रेंज के रूप में काम किया। उन्होंने भारत सरकार में डीआईजी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के रूप में भी सेवा की; वह पहली महिला थीं, जिन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के रूप में प्रोन्नत किया गया। तमिलनाडु में अपर पुलिस महानिरीक्षक के रूप में वह अभियोजन निदेशालय, आर्थिक अपराध खंड, अपराध शाखा सीआईडी, प्रशिक्षण और पुलिस आवास निगम, तमिलनाडु की प्रमुख रहीं। उन्हें 2012 में पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया और तमिलनाडु वर्दी सेवा भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में तैनात किया गया। उन्होंने 2015-16 के दौरान महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रूप में भी कार्य किया। फरवरी 2016 में सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) के महानिदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति पर उन्होंने भारत में अर्द्ध सैनिक बल / केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया। उन्हें 1995 में मेधावी सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 2005 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। वह 27 मार्च, 2019 से भारत के लोकपाल के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।

श्री महेंद्र सिंह

श्री महेन्द्र सिंह ने 1980 में इंग्लिश में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। 1981 में उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद) में कार्य ग्रहण किया। अपने उस सेवा काल में उन्होंने देशभर में तस्कर निवारण, अवैध ड्रग व्यापार निवारण, और केंद्रीय उत्पाद आसूचना के क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण कार्यभार संभाले। उन्हें बड़ी संख्या में तस्करी और कर अपवंचन के मामलों का पता लगाने और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट्स को तोड़ने का श्रेय प्राप्त है। उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दो बार 'प्रशंसा प्रमाणपत्र' प्रदान किया गया। उन्हें मई 2017 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) में सदस्य (जी.एस.टी.) के रूप में पदोन्नत किया गया। सदस्य (जी.एस.टी.) के रूप में उन्होंने 1 जुलाई, 2017 को भारत में सबसे बड़े कर-सुधार के रूप में शुरू किए गए जी.एस.टी. को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों के दल का नेतृत्व किया। वह 27 मार्च, 2019 से भारत के लोकपाल के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।

डॉ. इंद्रजीत प्रसाद गौतम

डॉ. इंद्रजीत प्रसाद गौतम ने 1976 में मास्टर्स डिग्री, और 1980 में लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने सीईपीटी विश्वविद्यालय, अहमदाबाद से पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की। डॉ. गौतम ने अपने करियर की शुरूआत सहायक आयुक्त, (आय कर) के रूप में भारतीय राजस्व सेवा से की; बाद में 1986 में उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य ग्रहण किया, और उन्हें गुजरात राज्य काडर आबंटित किया गया।

उन्होंने एस.डी.एम.; कलक्टर; संयुक्त एम.डी., जीआईआईसी; निदेशक (वित्त), सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना; एम.डी., गुजरात पावर कारपोरेशन; सचिव ऊर्जा; सचिव, गृह, सचिव, पत्तन; तथा राजकोट और अहमदाबाद के निगमायुक्त सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य निष्पादन किया। गुजरात सरकार के प्रधान सचिव के रूप में उन्होंने अनेक प्रमुख विभागों, जैसे कि शहरी विकास, शहरी गृह निर्माण, पत्तन एवं परिवहन की अध्यक्षता की है। उन्होंने राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय रूप से सुविख्यात परियोजनाओं, जैसे कि साबरमती नदी फ्रंट, बीआरटीएस, कंकड़िया झील फ्रंट, और मेट्रो रेल परियोजना अहमदाबाद, आदि का नेतृत्व किया और उन्हें कार्यान्वित किया। उन्होंने गुजरात मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. के प्रबंध निदेशक के रूप में भी पाँच वर्ष से अधिक समय तक सेवा की है। वह 27 मार्च, 2019 से भारत के लोकपाल में सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।

भारत के लोकपाल का प्रतीक चिह्न और मूल मंत्र

लोकपाल का प्रतीक चिह्न

किसी भी सार्वजनिक संगठन के लिए, जनता के साथ संवाद बनाए रखना और सार्वजनिक क्षेत्र में दृश्यता अनिवार्य है। साथ ही, किसी भी संगठन के निर्बाध कामकाज के लिए यह आवश्यक है कि अपनेपन, एकजुटता और गर्व एवं आपसी निष्ठा की भावना हो। प्रतीक-चिह्न (लोगो) एक दृश्य पहचान होने के नाते, उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में कार्य करता है।

लोकपाल के प्रतीक-चिह्न और मूल मंत्र को डिजाइन करने के लिए भारत सरकार के 'MyGov' मंच से राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। कुल 2,236 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिनमें से इलाहाबाद के श्री प्रशांत मिश्रा के डिजाइन को भारत के लोकपाल द्वारा आधिकारिक प्रतीक-चिह्न के रूप में चुना गया और अपनाया गया।

यह प्रतीक-चिह्न लोकपाल के शाब्दिक अर्थ को दर्शाता है - 'लोक' का अर्थ है 'जनता' और 'पाल' का अर्थ है 'रक्षक', अर्थात् जनता का रक्षक। यह प्रतीक-चिह्न कानून के अनुसार न्याय स्थापित करके भारत के लोकपाल द्वारा देश के लोगों की सुरक्षा और देखभाल करने का प्रतीक है। प्रतीक-चिह्न में तिरंगा इस संस्था के राष्ट्रव्यापी विस्तार को दर्शाता है जबकि आकृतियाँ निम्नलिखित को दर्शाते हैं:

- ऑम्बड्समैन (न्यायाधीशों की बेंच)
- लोग (तीन मानव आकार)
- सतर्कता (आंखों की पुतली बनाते हुए अशोक चक्र)
- विधि (नारंगी रंग में पुस्तक का आकार) और
- न्यायपालिका (नीचे रखे गए दो हाथ विशिष्ट प्रकार की तराज़ू बनाते हुए)

लोकपाल का मूल मंत्र (मोटो)

मूल मंत्र केवल शब्दों का लघु संग्रह नहीं होता, बल्कि उन विश्वासों, आदर्शों या सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें संगठन की आस्था होती है। मूल मंत्र के डिजाइन के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता भी भारत सरकार के 'MyGov' मंच से आयोजित की गई थी। चूंकि कोई प्रविष्टि उपयुक्त नहीं पाई गई, इसलिए भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने ईशोपनिषद के निम्नलिखित प्रारंभिक श्लोक का चयन किया:

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥

इस श्लोक की निम्न पंक्ति को भारत के लोकपाल के मूल मंत्र (मोटो) के रूप में प्रतीक-चिह्न के साथ प्रयोग करने के लिए अपनाया गया था।

"मा गृधः कस्यस्विद्धनम्" (in Sanskrit)
"किसी के धन का लोभ मत करो" (in Hindi)
'Do not covet the wealth of others' (in English)

4. संगठन और स्थापना

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में भारत के लोकपाल की सहायता के लिए भारत सरकार के सचिव रैंक के एक सचिव पद, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, जबकि अध्यक्ष और सदस्य प्राप्त शिकायतों पर विचार करते हैं और निर्णय लेते हैं, लोकपाल सचिवालय इस संगठन को समस्त प्रशासनिक और ढांचागत सहायता प्रदान करता है, जिसमें शिकायतें दर्ज करना, न्यायपीठों को सचिवीय सहायता प्रदान करना और पूछताछ या जांच के लिए सीबीआई/सीवीसी जैसी बाहरी एजेंसियों के साथ समन्वय करना शामिल है। सचिवालय अनुसंधान और नीति, 'लोकपाल ऑनलाइन' एवं लोकपाल वेबसाइट जैसी ई-गवर्नेंस पहलों के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है।

वैधानिक पद

'लोकपाल' के सचिवालय के लिए तीन वैधानिक पद, अर्थात सचिव, निदेशक (जांच) और निदेशक (अभियोजन) हैं। सचिव का पद भारत सरकार के सचिव के स्तर का है जबकि निदेशक (जांच) और निदेशक (अभियोजन) के पद भारत सरकार के अपर सचिव के स्तर के हैं। इन पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से की जाती है।

अन्य अधिकारी और कर्मचारी

उपर्युक्त के अतिरिक्त, लोकपाल कार्यालय की प्रारंभिक स्टाफिंग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त सचिव स्तर और उससे नीचे के स्तर के कुल 70 पद तथा स्टाफ कार ड्राईवर के 12 पद स्वीकृत किए गए हैं। संगठन की उभरती जरूरतों के अनुसार इन पदों को लगातार भरा जा रहा है।

लोकपाल अपनी कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुबंधित और आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएँ भी ले रहा है।

लोकपाल में कर्मचारियों की नियुक्ति की सुविधा के लिए, कुछ पदों को केंद्र सरकार की विभिन्न सेवाओं, अर्थात् केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस), और केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में संवर्गीकृत किया गया है। सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करके कुछ लेटरल इंटेक भी की गई है।

यंग प्रोफेश्नल्स की नियुक्ति

लगातार बदलते गतिशील सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में, गहन अनुसंधान और विश्लेषण किसी भी आधुनिक संगठन के कार्यकरण की आधारशिला होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, संविदात्मक आधार पर 'यंग प्रोफेश्नल्स' की नियुक्ति के लिए एक नीति अपनाई गई है और यंग प्रोफेश्नल्स को नियुक्त किया गया है।

इंटर्नशिप योजना

भारत के भीतर मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री और अनुसंधान स्कॉलर स्तर पर शिक्षारत छात्रों को इंटर्न के रूप में शामिल करने के लिए एक इंटर्नशिप योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य इन चयनित युवाओं को भारत के लोकपाल के आंतरिक कामकाज से परिचित कराना है।

वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति

प्रतिवर्ष, अधिनियम की धारा 48 के अनुसार भारत के लोकपाल के कार्य के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट भारत के माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। इसके बाद रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। वर्ष 2020-2021 की रिपोर्ट 8 मार्च, 2022 को भारत के माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई तथा 6 और 7 अप्रैल, 2022 को क्रमशः लोकसभा और राज्य सभा के पटल पर रखी गई।

कार्यालय परिसर

भारत के लोकपाल ने 28 मार्च, 2019 को अशोक होटल, नई दिल्ली में स्थापित अस्थायी कार्यालय से अपना कार्य संचालित करना शुरू किया। 14 फरवरी, 2020 को लोकपाल के कार्यालय को वसंत कुंज इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज़-II, नई दिल्ली में पूर्व आई.सी.ए.डी.आर. भवन के एक हिस्से में स्थानांतरित कर दिया गया जिसे विधि कार्य विभाग से किराए पर लिया गया है।

स्थायी कार्यालय

भारत के लोकपाल, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा निर्मित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में स्थायी कार्यालय स्थल प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इस कार्यालय में लोकपाल के विभिन्न प्रभागों/स्कंधों के समायोजित होने की अपेक्षा की जाती है। लोकपाल के प्रस्तावित कार्यालय की परिकल्पना कम और आधुनिक कार्यबल के साथ पर्यावरण के अनुकूल संचालन को अपनाने के लिए की गई है। संभावना है कि एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड यह कार्यालयी स्थान वर्ष 2023 के उत्तरार्ध में उपलब्ध कराएगा।

बजट प्रावधान और व्यय

भारत के लोकपाल के बजट को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की मांग संख्या 73 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2062 (सतर्कता), लघु शीर्ष 00.102 लोकपाल (भारित) में अलग से प्रावधान किया जाता है।

आरंभ में 2021-22 के बजट अनुमान में 39.67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित करके 25.88 करोड़ रुपये कर दिया गया। भारत के लोकपाल ने 2021-22 के दौरान 25.14 करोड़ रुपये का व्यय किया। इस राशि में कार्यालय स्थान अधिगृहीत करने के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को भुगतान किए गए प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए आवंटित 10 करोड़ रुपये का उपयोग शामिल है। निधियों का उपयोग घरेलू यात्रा और चिकित्सा व्यय के लिए किए गए प्रावधान से कम रहा है। शीर्ष-वार बजट प्रावधान और व्यय का विवरण संलग्नक में दिया गया है।

बजट अनुमान 2022-23 में, बजट में 34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि में वेतन, कार्यालय व्यय, किराया, मजदूरी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा, व्यावसायिक सेवाओं और प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए प्रावधान शामिल हैं, जहाँ प्रमुख निर्माण कार्यों के प्रावधानों का उपयोग एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से कार्यालय के अधिग्रहण संबंधी भुगतान के लिए किया जाएगा।

(राशि लाख रुपये में)

प्रयोजन शीर्ष	ब.अ. 2021-22	सं.अ. 2021-22	व्यय 2021-22	ब.अ. 2022-23
वेतन (01)	700	600	591.51	1,000
मजदूरी (02)	10	10	9.00	12
समयोपरि (03)	0	0	0	1
चिकित्सा (06)	70	25	17.71	60
घरेलू यात्रा (11)	100	5	3.76	12
विदेश यात्रा (12)	0	0	0	5
कार्यालय व्यय (13)	800	600	567.16	600
किराया (14)	800	260	248.67	400
अन्य प्रशासनिक व्यय (20)	50	8	10.42	50
लघु निर्माण कार्य (27)	400	30	21.32	160
व्यावसायिक सेवाएँ (28)	37	50	45.03	100
अन्य शुल्क (50)	0	0	0	0
प्रमुख निर्माण कार्य	1,000	1,000	1,000.00	1,000
कुल	**3,967**	**2,588**	**2,514.58**	**3,400**

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 2022 को भारत के लोकपाल कार्यालय में मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के लिए अभियान का विषय था -#पूर्वाग्रहों को छोड़ें (#BreakTheBias)। सत्र की अध्यक्षता भारत के लोकपाल में सदस्य श्रीमती अर्चना रामासुन्दरम ने की। समारोह का शुभारंभ उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित सभी कर्मचारियों को बधाई देने के साथ किया। फिर उन्होंने भारत के लोकपाल में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति श्रीमती अभिलाषा कुमारी से प्राप्त एक प्रेरक संदेश पढ़ा, जो किसी अन्य व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो सकीं थीं। इसके बाद एक अनौपचारिक लेकिन केंद्रित संवाद सत्र का आयोजन किया गया, जिसके दौरान महिला प्रतिभागियों ने महिला सशक्तीकरण और स्त्री-पुरुष समानता के विषय पर अपने विचार और सुझाव साझा किए। सदस्य महोदया ने इस बात पर जोर देते हुए अपने विचार साझा किए कि महिलाओं को अपनी आवाज उठानी चाहिए, साहसिक रवैया रखना चाहिए और समाज में लैंगिक भेदभाव के खिलाफ लड़ना चाहिए।

8 मार्च, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

5. शिकायत समाधान का विवरण और स्थिति

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कथित रूप से दंडनीय अपराध करने पर किसी लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत भारत के लोकपाल को यथानिर्धारित प्रारूप में की जा सकती है। लोकपाल (परिवाद) नियम, 2020 के तहत शिकायत का रूप निर्धारित किया गया है, जैसाकि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 2(1)(ङ) के साथ पठित धारा-59(2)(क) के संदर्भ में 2 मार्च 2020 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

भारत के लोकपाल में न्यायपीठें/ न्यायपीठों की बैठक

लोकपाल के कार्यालय में प्राप्त सभी शिकायतों पर गठित पीठों द्वारा विचार किया जाता है। मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, भारत के लोकपाल में चार पीठें हैं, अर्थात्:

i.) पूर्ण न्यायपीठ, अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता में।

ii.) (खंड-पीठ-I), अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता में।

iii.) (खंड-पीठ-II), न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति श्री पी.के. मोहंती की अध्यक्षता में,

iv.) (खंड-पीठ-III), न्यायिक सदस्य, न्यायमूर्ति श्रीमती अभिलाषा कुमारी की अध्यक्षता में।

न्यायपीठ की बैठकें कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन आयोजित की गई हैं। वर्ष 2021-2022 के दौरान पूर्ण न्यायपीठ की कुल 19 और खंड पीठ की 37 बैठकें हुई।

पिछले वर्षों में प्राप्त शिकायतों की स्थिति (2019-20 और 2020-21)

नियम अधिसूचित किए जाने से पहले, भारत के लोकपाल ने शिकायतों का संज्ञान लिया, चाहे वे किसी भी रूप में प्रस्तुत की गई हों। 2019-20 के दौरान, कुल 1,427 शिकायतें दर्ज की गईं; जिनमें से अधिकतर पर लोकपाल द्वारा विचार किया गया और उनका निपटारा किया गया।

वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत के लोकपाल के कार्यालय में कुल 2,355 शिकायतें प्राप्त हुईं; जिनमें 131 निर्धारित प्रारूप में थीं और शेष 2,224 शिकायतें निर्धारित प्रारूप में नहीं थीं। दिनांक 2 मार्च, 2020 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, प्रारूप में न भेजी गई शिकायतों के ऐसे सभी शिकायतकर्ताओं को निर्धारित प्रारूप में अपनी शिकायतें दर्ज करने की सलाह दी गई थी।

निर्धारित प्रारूप में दर्ज की गई 131 शिकायतों में से, 21 शिकायतें कुछ कमियों को सुधारने और फिर से दर्ज करने की सलाह देते हुए शिकायतकर्ताओं को वापस कर दी गई। शेष 110 को पंजीकृत किया गया और आगे विचार के लिए कार्रवाई की गई। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, दर्ज की गई इन 110 शिकायतों में से 88 का निपटारा कर दिया गया, जबकि 16 शिकायतें विभिन्न एजेंसियों के पास

प्रारंभिक जांच के लिए और 6 शिकायतें लोकपाल के विचाराधीन थीं। इस प्रकार, 22 शिकायतों को अगले वर्ष (2021-22) में विचार के लिए ले जाया गया।

2021-2022 के दौरान प्राप्त शिकायतें और की गई कार्रवाई

2021-22 के दौरान प्राप्त और पहले के वर्षों से ली गई शिकायतों का भी बड़ी संख्या में निपटारा किया गया है। इसके अलावा, नई शिकायतों के साथ-साथ बिना प्रारूप वाली शिकायतों के समाधान के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं।

इस संबंध में की गई कार्रवाई की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

i.) 2021-22 के दौरान कुल 5,680 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 169 निर्धारित प्रारूप में और शेष 5,511 प्रारूप में नहीं थीं। बिना प्रारूप की शिकायतों के सभी मामलों में, शिकायतकर्ताओं को निर्धारित प्रारूप में शिकायतें दर्ज करने की सलाह दी गई थी। भारत के लोकपाल की वेबसाइट [https://lokpal.gov.in] पर नियमों की एक प्रति और एक भरने योग्य फॉर्म भी उपलब्ध कराया गया था;

ii.) निर्धारित प्रारूप में प्राप्त 169 शिकायतों में से, 149 शिकायतों पर विचार किया गया, शेष 20 में आवश्यक जानकारी में कमी पाई गई और उन्हें सुधार के लिए शिकायतकर्ताओं को वापस कर दिया गया; तथा

iii.) ऐसी 10 शिकायतें जो वर्ष 2019-20 से लंबित थीं, उनका निपटारा कर दिया गया। 2020-21 से लंबित 22 शिकायतों में से 12 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया और शेष 10 शिकायतें अन्य एजेंसियों के पास जांच के लिए लंबित हैं।

भारत के लोकपाल को बड़ी संख्या में बिना प्रारूप वाली शिकायतें प्राप्त होने को ध्यान में रखते हुए, प्राप्त सभी शिकायतों (प्रारूप और बिना प्रारूप) को स्वीकार करने के लिए कार्यालय परिपत्र संख्या 01/2021 दिनांक 28 जुलाई, 2021 से संबंधित एक शुद्धिपत्र दिनांक 10 फरवरी, 2022 को जारी किया गया।

परिणामस्वरूप, कार्यालय में प्राप्त बिना प्रारूप की सभी शिकायतों को स्वीकारने का निर्णय लिया गया, जिसमें 2020-21 में प्राप्त 2,224 और 2021-2022 में प्राप्त 5,511 शिकायतें शामिल हैं। बिना प्रारूप की शिकायतों का एक बड़ा हिस्सा ई-मेल से प्राप्त होता है, जहां शिकायतकर्ता अलग-अलग तारीखों को अलग-अलग विषयों के साथ लेकिन एक ही मुद्दे के बारे में कई ईमेल भेजता है। ऐसे डुप्लीकेट ईमेल को एकल शिकायत के रूप में विलयित किया गया।

31 मार्च, 2022 तक, 2020-21 में प्राप्त 2,224 बिना प्रारूप की शिकायतों में से 1,699 दर्ज की गई हैं। इनमें से 1,479 का निपटान कर दिया गया है और शेष पर विचार किया जा रहा है। इसी तरह, 2021-22 में प्राप्त 5,511 बिना प्रारूप की शिकायतों में से 410 दर्ज की गई हैं, जबकि बाकी पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, इन 410 शिकायतों में से 349 का मार्च, 2022 के अंत तक निपटान कर दिया गया है।

वर्ष 2021-2022 के दौरान प्राप्त, पंजीकृत, निपटाई गई और लंबित शिकायतों का एक सारणीबद्ध विवरण निम्नानुसार है:

शिकायत के प्रकार	प्राप्त	पंजीकृत	निपटाई गई	लंबित (कुल)	अन्य एजेंसियों के पास लंबित
प्रारूप (2021-22)	169	149	121	28	8
बिना-प्रारूप (2021-22)	5,511	410	349	5,162	5
बिना-प्रारूप (2020-21)	2,224	1,699	1,479	220	21

कुल मिलाकर, 2021-22 के दौरान 2,290 शिकायतों पर कार्रवाई की गई, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- 10 शिकायतें 2019-20 से और 22 प्रारूप शिकायतें 2020-21 से आगे ले जाई गई
- 149 प्रारूप शिकायतें 2021-22 के दौरान प्राप्त हुई; तथा
- 2,109 बिना प्रारूप की शिकायतें (1,699 शिकायतें 2020-21 और 410 शिकायतें 2021-22 के दौरान प्राप्त हुई)।

बिना प्रारूप की शिकायतों के मामले में, शिकायतकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित प्रारूप में शिकायतों से संबंधित आवश्यक जानकारी देकर शिकायत दर्ज करवाएँ।

2021-22 के दौरान की गई पूछताछ की स्थिति

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रारंभिक जांच सामान्यतः शिकायत प्राप्ति की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, और लिखित में कारणों को रिकॉर्ड करके और नब्बे दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। जांच एजेंसी को प्रारंभिक जांच के दौरान लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से शिकायत में लगाए गए आरोपों पर टिप्पणियां प्राप्त करनी होती है। कुछ अवसर पर जांच एजेंसी जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करती है।

उक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, किसी एजेंसी द्वारा अन्वेषण/ विभागीय कार्यवाही की शुरुआत/ कार्यवाही को बंद करने का आदेश देने से पहले 'लोकपाल' की न्यायपीठ द्वारा लोक सेवक को सुने जाने का अवसर दिया जाना होता है। ऐसा अन्वेषण 'लोकपाल' द्वारा अन्वेषण का आदेश देने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर पूरा करना होता है। परंतु लिखित में रिकॉर्ड किए गए कारणों से इस अवधि को एक बार में अधिक से अधिक छह माह की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। और, ऐसे अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, इस मामले में आगे की कार्यवाही करने से पहले सक्षम प्राधिकारी और लोक सेवक की टिप्पणी भी प्राप्त करनी होती है।

आदेशित जांच, प्राप्त और निपटाई गई संबंधित शिकायतों का सारणीबद्ध विवरण निम्नानुसार है:

आदेशित प्रारंभिक जाँच की संख्या	पीआई रिपोर्ट प्राप्त होने पर, धारा 20(3) के तहत लोक सेवकों को सुनवाई का अवसर दिया गया	लंबित प्रारंभिक जांच की संख्या	भारत के लोकपाल की विभिन्न न्यायपीठों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक जांच और पीआई रिपोर्ट पर विचार करने के बाद बंद की गई शिकायतों की संख्या
28	03	08	17

2021-22 के दौरान, भारत के लोकपाल की विभिन्न न्यायपीठों ने 28 मामलों में सीबीआई/सीवीसी के माध्यम से की जाने वाली प्रारंभिक जांच का आदेश दिया है। इनमें से, 17 मामलों को संबंधित एजेंसी से प्राप्त प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद संबंधित न्यायपीठों द्वारा बंद कर दिया गया था। 8 मामलों में अभी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का इंतजार है जबकि 3 मामलों में लोक सेवकों को अधिनियम की धारा 20(3) के तहत सुनवाई का अवसर दिया गया है।

2021-22 में प्रारूप में प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण

अधिनियम की धारा 14 में शामिल लोक सेवकों की विभिन्न श्रेणियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। वर्ष 2021-22 में लोक सेवकों के विरुद्ध निर्धारित प्ररूप में प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण नीचे सारणी में दिया गया है:

क्र.सं.	लोक सेवक की श्रेणी	शिकायतों की संख्या
i.)	संसद सदस्य	08
ii.)	केंद्र सरकार के ग्रुप 'ए' या ग्रुप 'बी' के अधिकारी	35
iii.)	संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित या इसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, कंपनी, सोसायटी, न्यास या स्वशासी निकाय का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी	49
iv.)	राज्य सरकार के अधिकारी और राज्य स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों और स्वायत्त निकायों के अधिकारी।	47
v.)	अनुरोध, टिप्पणियाँ या सुझावों के रूप में शिकायतें।	01
vi.)	अन्य (विशेष रूप से उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत शामिल नहीं)।	09
	कुल	**149**

चित्र 2: लोक सेवकों की विभिन्न श्रेणियों के विरुद्ध पंजीकृत शिकायतें

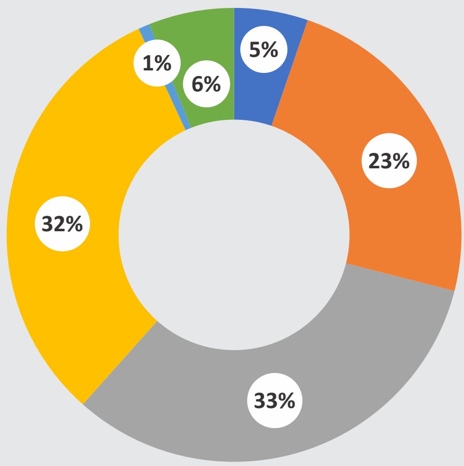

आरोपों की प्रकृति के आधार पर शिकायतों का एक विस्तृत वर्गीकरण नीचे दिखाया गया है:

क्र.सं.	आरोपों की प्रकृतिः	शिकायतों की संख्या
i.)	पदधारियों द्वारा गलत कार्रवाई या कार्रवाई नहीं करना	61
ii.)	लोक सेवक द्वारा आपराधिक गबन	11
iii.)	अन्य व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुँचाना	12
iv.)	लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध	13
v.)	सेवा मामले	17
vi.)	स्वयं को अनुचित तरीके से समृद्ध करते लोक सेवक	2
vii.)	अनुरोध, टिप्पणी या सलाहकी प्रकृति की शिकायतें	11
viii.)	अन्य (जो उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत विशेष रूप से कवर नहीं होता है)	22
	कुल	**149**

चित्र 3: लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों में आरोपों की प्रकृति

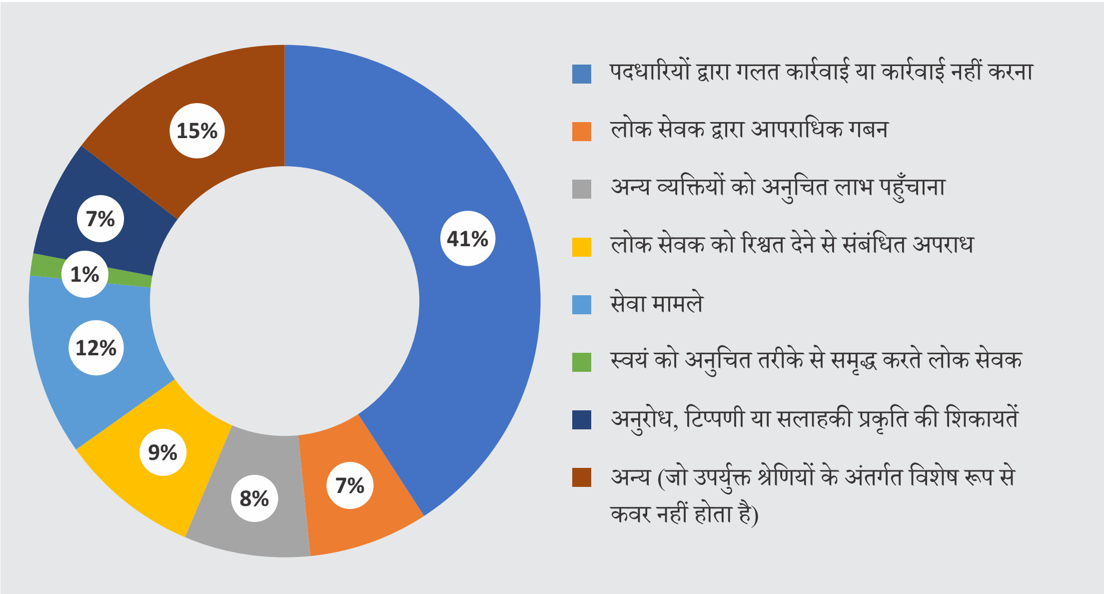

6. आउटरीच

भ्रष्टाचार से लड़ने और प्रशासनिक एवं कानूनी सुधार करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए, भारत के लोकपाल ने आवश्यक आदेश पारित करके जागरूकता बढ़ाने और व्यवस्था में जनता का विश्वास हासिल करने के लिए सार्वजनिक मंचों में भाग लेकर कई कार्यकलाप शुरू किए हैं। परिणामतः लोग भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट करने और अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए आगे आ रहे हैं।

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की सं.*
2019-20	1,427
2020-21	2,355
2021-22	5,680
कुल	**9,462**

* बिना-प्रारूप शिकायतों सहित

भारत के लोकपाल को प्राप्त कुल शिकायतों, जिनमें बिना प्रारूप की शिकायतें भी शामिल हैं, के आंकड़ों में पिछले कुछ वर्षों से वृद्धि का रुझान देखा जा रहा हैं जहां कुल मिलाकर नौ हजार से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। भारत के लोकपाल की पहुंच बढ़ाने की गुंजाइश अभी भी है क्योंकि प्राप्त अधिकांश शिकायतें बिना प्रारूप की होती हैं, जिनमें महत्वपूर्ण जानकारी का अभाव होता है। समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचने तथा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाने में भी आउटरीच मदद करेगा।

भारत के लोकपाल का वेब पोर्टल *(https://lokpal.gov.in)* आउटरीच का एक प्रमुख साधन है जो आम जनता को इस संस्था के बारे में आवश्यक जानकारी देता है। सार्वजनिक डोमेन में वार्षिक रिपोर्टें भी उपलब्ध कराई जाती हैं जिनमें लोकपाल द्वारा किए गए कार्यकलाप पर आवधिक अपडेट के साथ-साथ शिकायत समाधान की प्रास्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है।

कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए, सभी प्रासंगिक अधिनियमों को एक ही स्थान पर पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध कराया गया है, अर्थात् 'अधिनियम और नियम/विनियम' टैब। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946; केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003, आदि जैसे अधिनियमों के दस्तावेज के साथ-साथ शिकायतों से निपटने, प्रारंभिक जांच करने आदि की प्रक्रिया संदर्भ के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है।

एक समर्पित 'शिकायत कॉर्नर' टैब शिकायत दर्ज करने के लिए लिंक देता है, और प्रासंगिक जानकारी, अर्थात शिकायत दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश, शिकायत के आंकड़े और अन्य डेटा भी मुहैया कराता है।

सम्मेलन / कार्यशाला

भारत के लोकपाल और भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य देश भर में विभिन्न सम्मेलनों / कार्यशालाओं में भाग लेकर लोक सेवकों और आम जनता के साथ नियमित रूप से संवाद करते हैं।

भारत के लोकपाल के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष ने 23 अगस्त, 2021 को आभासी माध्यम से कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय, हुबली के तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर 'कानून के शासन' पर व्याख्यान दिया। उन्होंने 20 अक्टूबर 2021 को केवडिया, गुजरात में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के संयुक्त सम्मेलन में भी भाग लिया। अध्यक्ष महोदय ने 23 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित उत्तर भारत के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पहले क्षेत्रीय सम्मेलन को भी संबोधित किया। 26 मार्च, 2022 को स्कूल ऑफ लॉ, केआईआईटी, भुवनेश्वर में अध्यक्ष महोदय ने 'भारत में लोकपाल की भूमिका और महत्व' पर भी एक व्याख्यान दिया।

भारत के लोकपाल में सदस्य, श्री दिनेश कुमार जैन ने 8 सितंबर, 2021 को राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एन.आई.सी.एफ.), नई दिल्ली में आई.पी.एण्ड.टी.एफ.एस. अधिकारियों के 2020 बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं (ओटी) को एक व्याख्यान दिया। उन्होंने सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021 के दौरान 1 नवंबर, 2021 को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आयोजित 'स्वतंत्र भारत @75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता' के विषय पर एक व्याख्यान भी दिया। उन्होंने केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) द्वारा 23 मार्च, 2022 को पंजाब नेशनल बैंक

न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष, अध्यक्ष, भारत के लोकपाल नई दिल्ली में उत्तर भारत के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पहले क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए।

मुख्यालय, द्वारका, नई दिल्ली में आयोजित उत्तर-भारत के सी.वी.ओ. के पहले क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सी.वी.ओ.) को भी संबोधित किया।

भारत के लोकपाल में सदस्य श्रीमती अर्चना रामासुन्दरम ने 28 मार्च, 2022 को पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, मेघालय में 'भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और लोकपाल की भूमिका' विषय पर असम पुलिस के कैडेट एस.आई. को व्याख्यान दिया, जिसके बाद प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत हुई।

केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो का एक संयुक्त सम्मेलन 20 अक्टूबर, 2021 को केवडिया, गुजरात में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में विभिन्न संगठनों (पी.एस.यू.) के 250 से अधिक सी.वी.ओ. ने भाग लिया, जिसमें सी.बी.आई. जोनल प्रमुख और राज्य सरकारों के एसीबी प्रमुख शामिल थे।

भारत के लोकपाल में सदस्य डॉ. आई.पी. गौतम, ने 20 अक्टूबर, 2021 को उद्घाटन सत्र में भाग लिया और 'संरचनाओं और प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग' विषय पर एक प्रस्तुति भी दी। उन्होंने 15 दिसंबर, 2021 को संसद टीवी पर "मुद्दा आपका- लोकपाल ऑनलाइन" कार्यक्रम में भी भाग लिया जिसमें जनता के लिए 'लोकपाल ऑनलाइन' सॉफ्टवेयर के लाभों पर प्रकाश डाला गया।

श्री दिनेश कुमार जैन, सदस्य, भारत के लोकपाल विभिन्न संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाते हुए।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी सी.वी.सी. और सी.बी.आई. के
संयुक्त सम्मेलन को वीडियो संदेश देते हुए

श्रीमती अर्चना रामासुन्दरम, सदस्य, भारत के लोकपाल,
उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी, मेघालय में।

(बाएँ से दाएँ) श्री सुबोध कुमार जायसवाल, निदेशक, सीबीआई; श्री सुरेश एन. पटेल, सीवीसी; भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष; भारत के लोकपाल के सदस्य डॉ. आई.पी. गौतम; श्रीमती संगीता सिंह, राज्य सतर्कता आयुक्त, गुजरात; स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार खारा, (केवडिया, गुजरात में सीवीसी और सीबीआई के संयुक्त सम्मेलन में)।

7. कोविड-19 महामारी से निपटना

कोरोनावायरस महामारी का भारत और विश्व पर कई गुना प्रभाव पड़ा है। महामारी की प्रचंडता के बावजूद, यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए कि भारत के लोकपाल के कार्यालय के विकास संबंधी और परिचालन कार्यकलाप यथासंभव कम व्यवधान के साथ क्रियान्वित किए जाएँ।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों और एसओपी को न केवल समय-समय पर लागू किया गया, बल्कि संक्रमण फैलने के जोखिम को कम करने के लिए अनेक उपाय भी किए गए जैसेकि कर्मचारियों के ड्यूटी रोस्टर को अंतरकालिक बनाना तथा ऑनलाइन कार्यक्षेत्र में वृद्धि करना। इसके अलावा, कोविड-19 संक्रमणों का पता लगाने के लिए सभी कर्मचारियों हेतु आरएटी / आरटी-पीसीआर परीक्षण करने के लिए प्रशासन द्वारा चार शिविर आयोजित किए गए थे, विशेषकर जब शहर में मामलों की संख्या बढ़ रही थी।

इसके अलावा, कार्यालय और आसपास के परिसरों में नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाए गए और पर्याप्त संख्या में मास्क एवं दस्ताने खरीदे तथा सभी कर्मचारियों में वितरित किए गए। कार्यालय परिसर में प्रवेश करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के शरीर के तापमान की जाँच और स्वचालित सैनिटाइज़र मशीनों की स्थापना जैसे एहतियाती कदम भी उठाए गए। भारत सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार सभी अधिकारियों के टीकाकरण के लिए स्थानीय अधिकारियों के परामर्श से व्यवस्था की गई थी।

लॉकडाउन अवधि के दौरान, जहां कुछेक कर्मचारी ही आवश्यक कार्य सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय पहुंचते थे, वहीं शेष कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से किया गया। इस अवधि का उपयोग 'लोकपाल ऑनलाइन' पोर्टल के शुभारंभ की तैयारी करने के साथ-साथ भर्ती नियम तैयार करने, कार्यालय स्थान की खरीद को अंतिम रूप देने आदि के लिए भी किया गया।

8. ई-गवर्नेंस पहल

अपने कार्य- क्षेत्र में दक्षता और पारदर्शिता लाने, मानव संसाधन पर होने वाले व्यय को कम करने और आम जनता तक इसकी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत के लोकपाल अपने संचालन में आईटी और ई-गवर्नेंस के विभिन्न साधनों को अधिकाधिक अपना रहा है।

कार्यान्वयनाधीन ई-गवर्नेंस साधनों और परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

भारत के लोकपाल की वेबसाइट

भारत के लोकपाल की वेबसाइट, जो *https://lokpal.gov.in* पर उपलब्ध है, को विभिन्न हितधारकों से जुड़ने और संस्था की विभिन्न पहलों एवं कार्यकलाप के साथ-साथ सांविधिक प्रावधानों, नियमों और विनियमों, डेटा और सांख्यिकी तथा संगठन में होने वाले अन्य घटनाक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार किया गया है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.)

चित्र 4: भारत के लोकपाल कार्यालय द्वारा लागू किए गए ई-गवर्नेंस साधन

द्वारा तैयार और अनुरक्षित सूचनाप्रद एवं प्रयोक्ता-अनुकूल वेबसाइट 16 मई, 2019 से प्रचालनरत है।

लोकपाल ऑनलाइन: शिकायत प्रबंधन सॉफ्टवेयर

भारत के लोकपाल के अध्यक्ष ने शिकायतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर 'लोकपाल ऑनलाइन' का उद्घाटन 13 दिसंबर, 2021 को किया था। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) द्वारा तैयार इस मंच का उद्देश्य पुरानी मैनुअल प्रक्रिया के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अपनाकर शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया में उत्पादकता, गुणवत्ता और दक्षता में सुधार लाना है। यह सिस्टम देश के सभी नागरिकों के लिए कहीं से भी, कभी भी *https://lokpalonline.gov.in* पर शिकायत दर्ज करने के लिए उपलब्ध है।

'लोकपाल ऑनलाइन' सॉफ्टवेयर एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया है और एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के रूप में तैयार किया गया है। इसे अपने पूरे जीवनचक्र, जो प्रारंभिक फाइलिंग से लेकर अंतिम निपटान तक चलता है, के दौरान शिकायतों पर कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाने के लिए मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं ताकि नागरिक अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकें और साथ ही कहीं से भी डैशबोर्ड पर उसकी प्रास्थिति को ट्रैक कर सकें।

यह सिस्टम संवादमूलक है और प्रयोक्ता अनुकूल है जहाँ प्रयोक्ताओं के साथ उनकी शिकायतों के विभिन्न चरणों में निरंतर संवाद किया जाता है। इसमें शिकायत के अंतिम निपटान के बाद लोकपाल द्वारा पारित आदेश की प्रति डाउनलोड करने की भी व्यवस्था है। बैकएंड पर, इस

'लोकपाल ऑनलाइन' सॉफ्टवेयर का उद्घाटन

सिस्टम में तत्काल आधार पर शिकायतों के डेटाबेस से विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने की भी व्यवस्था है। सिस्टम सुरक्षा और इसके डेटाबेस की अखंडता के मुद्दे सर्वोपरि हैं और जैसे-जैसे सिस्टम विकसित हो रहा है, सुरक्षा ऑडिट के साथ-साथ समय-समय पर इन मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है।

फाइलों के इलेक्ट्रॉनिक संचलन के लिए ई-ऑफिस

भारत के लोकपाल के सचिवालय में ई-ऑफिस सिस्टम पूरी तरह से लागू है जिससे सचिवालय में प्रशासनिक फाइलों की भौतिक आवाजाही की आवश्यकता समाप्त हो गई है। सभी कार्यालय संचालन जैसे आवक पत्राचार की डायरी, फाइलों का सृजन, फाइलों को एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक ले जाना, विभिन्न स्तरों पर निर्णयों की रिकॉर्डिंग और अभिलेखों को आर्काइव में रखना अब इस सिस्टम के माध्यम से हो रहा है।

संगठन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के अलावा, यह सिस्टम पर्यावरण-अनुकूल और कम संख्या वाले कर्मचारियों का संगठन होने के अपने उद्देश्य के अनुरूप, संगठन के कार्बन पदचिह्न को कम करता है। इसके अतिरिक्त, इस सिस्टम को अपनाने से अधिक संगठनात्मक लाभ अर्जित हुआ क्योंकि इसने कोविड-19 महामारी के दौरान लोकपाल के भीतर होने वाले कार्यकलाप की गति को बनाए रखने में मदद की।

ई-एच.आर.एम.एस. (इलेक्ट्रॉनिक-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली)

ई-एच.आर.एम.एस. (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) एन.आई.सी. द्वारा विकसित वेब-आधारित समाधान है जो इलेक्ट्रॉनिक सेवा रिकॉर्ड के माध्यम से कर्मियों के बेहतर प्रबंधन हेतु संगठन को एक सामान्य, उत्पाद-आधारित समाधान देता है। सिस्टम को कर्मचारी के वेतन, जीपीएफ, सेवानिवृत्ति लाभों के लिए कर्मचारी सूचना प्रणाली

चित्र 5: 'लोकपाल ऑनलाइन' प्लेटफॉर्म का स्क्रीनशॉट

(ई.आई.एस.) के साथ और कर्मचारी द्वारा किए गए दावों के भुगतान को लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) के साथ एकीकृत किया गया है। सिस्टम में एक डैशबोर्ड है जहाँ कर्मचारी आसानी से अपने अनुरोधों की प्रास्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों की जाँच कर सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (स्पैरो)

इलेक्ट्रॉनिक वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (स्पैरो) अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ए.पी.एआ.र.) पर कार्रवाई करने में सुविधा के लिए ऑनलाइन प्रणाली है और इसे भारत के लोकपाल सचिवालय में कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, इस प्रणाली के माध्यम से 20 नियमित कर्मचारियों के ए.पी.ए.आर. तैयार किए गए।

ई-ग्रंथालयः पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली

ई-ग्रंथालयः पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली सरकारी पुस्तकालयों के रखरखाव के लिए एन.आई.सी .द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ई-ग्रंथालय परंपरागत पुस्तकालयों को डिजीटल पुस्तकालय सेवाओं के साथ ई-पुस्तकालय में बदलने के लिए उपयोगी है, जिसमें पुस्तकालयों के भीतरी कार्यकलापों का स्वचलन, डिजीटल पुस्तकालय समेकन और 'सिंगल विंडो एक्सेस सिस्टम' का उपयोग करते हुए सदस्यों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना शामिल है। यह प्रणाली भारत के लोकपाल सचिवालय में कार्यान्वित की गई है।

भविष्यः पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली

'भविष्य' ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली है जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति संबंधी सभी देय राशियों का भुगतान और पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की डिलीवरी सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली में कर्मचारी के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पेंशन स्वीकृतियों और भुगतानों को ऑनलाइन ट्रैक करने की व्यवस्था है। इस प्रणाली को लागू कर दिया गया है और इस कार्यालय ने इस प्रणाली के माध्यम से 2021-22 के दौरान दो पी.पी.ओ. जारी किए हैं।

स्वागतमः आगंतुक प्रबंधन प्रणाली

स्वागतम ई- आगंतुक प्रबंधन प्रणाली क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर है जो भारत के लोकपाल में अधिकारियों के साथ मुलाकात करने के इच्छुक आगंतुकों के लिए ऑनलाइन तंत्र की व्यवस्था करता है।

चित्र 6: 'ई-ऑफिस' का स्क्रीनशॉट

9. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, सभी प्रासंगिक अधिनियम, नियम, विनियम, निर्देश, नियम-पुस्तिकाएं, वार्षिक रिपोर्ट, शिकायत दर्ज करने के लिए दिशा-निर्देश और शिकायतों के आंकड़े आदि को जनता की जानकारी के लिए नियमित अंतराल पर भारत के लोकपाल की वेबसाइट (https://lokpal.gov.in) पर रखा जाता है।

आर.टी.आई. आवेदन और अपील

2021-22 में, भारत के लोकपाल को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने के लिए 380 आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी आवेदनों का अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान किया गया। इसके अलावा, इस अवधि में 35 अपीलें प्राप्त हुईं और इन सभी अपीलों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान किया गया है।

वर्ष 2021-22 में लोकपाल द्वारा प्राप्त हुए आरटीआई आवेदन
और अपीलों में से 100% का निपटारा कर दिया गया है

लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदाई बनाने के लिए अनिवार्य है।

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

10. 'रोड अहेड'

संस्था निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है और वैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन दोनों की आवश्यकता होती है।

शिकायतों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों और अधिकारियों को स्थान देने के लिए लोकपाल के मौजूदा कार्यालय स्थान का विस्तार किया जा रहा है। वसंत कुंज, नई दिल्ली में नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र के परिसर में विधि कार्य विभाग द्वारा मुहैया कराए गए अतिरिक्त स्थान में पर्याप्त नवीकरण, नेटवर्किंग की गई है।

भारत के लोकपाल की वेबसाइट को और अधिक सामयिक रूप और आकार दिया जा रहा है जहां इसे अधिक प्रयोक्ता-अनुकूल बनाने के लिए इसके सौंदर्यात्मक और कार्यात्मक दोनों पहलुओं में बदलाव किए जाएंगे। इसी तरह, 'लोकपाल ऑनलाइन', जो शिकायत प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, उसमें अधिक कार्यात्मक मॉड्यूल जोड़कर उसे परिष्कृत रूप दिया जा रहा है। इसी तरह, क्षेत्रीय भाषाओं में प्राप्त शिकायतों के अनुवाद के लिए अनुवादकों के नियोजन पर विचार किया जा रहा है ताकि आम जनता को शिकायत दर्ज करने में आसानी हो।

कार्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और लोक सेवकों एवं शिकायतकर्ताओं को जानकारी देने के लिए मौजूदा नियमों/विनियमों, आंतरिक नीतियों और परिपत्रों का एक संग्रह तैयार किया जाएगा। यह संस्था विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे सी.वी.सी., सी.बी.आई., ई.डी., आदि के साथ मिलकर काम करेगी ताकि सर्वोत्तम परिपाटियों पर चर्चा, तालमेल और सहज समन्वय विकसित किया जा सके।

संलग्नक

2021-22 के दौरान बजट प्रावधान और व्यय

प्रमुख शीर्ष : 2062 सतर्कता
लघु शीर्ष : 00.102 लोकपाल (भारित)
उप लघु शीर्ष : 01 स्थापना

(राशि लाख रुपये में)

शीर्ष	विवरण	2020-21 व्यय	2021-22 में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय		
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2062.00.102. 01.00.01	वेतन	476.17	700.00	600.00	591.51
2062.00.102. 01.00.02	मजदूरी	9.00	10.00	10.00	9.00
2062.00.102. 01.00.03	समयोपरि भत्ता (ओवर टाइम अलाउंस)	0	0	0	0
2062.00.102. 01.00.06	चिकित्सा उपचार	12.43	70.00	25.00	17.71
2062.00.102. 01.00.11	घरेलू यात्रा व्यय	0.36	100.00	5.00	3.76
2062.00.102. 01.00.12	विदेश यात्रा व्यय	0	0	0	0
2062.00.102. 01.00.13	कार्यालय व्यय	502.76	800.00	600.00	567.16
2062.00.102. 01.00.14	किराया, दरें और कर	284.09	800.00	260.00	248.67
2062.00.102. 01.00.20	अन्य प्रशासनिक व्यय	6.42	50.00	8.00	10.42
2062.00.102. 01.00.27	लघु निर्माण कार्य	33.30	400.00	30.00	21.32
2062.00.102. 01.00.28	व्यावसायिक सेवाएं	33.17	37.00	50.00	45.03
2062.00.102 .01.00.50	अन्य शुल्क	0	0	0	0
कुल		**1,357.70**	**2,967.00**	**1,588.00**	**1,514.58**
4059.01.051. 14.00.53	प्रमुख कार्य- भूमि अधिग्रहण एवं भवन का निर्माण (लोकपाल)	0	1,000.00	1,000.00	1,000.00
कुल योग		**1,357.70**	**3,967.00**	**2,588.00**	**2,514.58**

मा गृधः कस्यस्विद्धनम्

मा गृधः कस्यस्विद्धनम्

भारत के लोकपाल

6, वसंत कुंज इंस्टीट्यूशनल एरिया,
फेज-II, नई दिल्ली-110 070

lokpal.gov.in

+91-11-2612 5017

complaint-to-lokpal@gov.in